भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1546

(02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में आधार नंबर को एबीपीएस से न जोड़ना

1546. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिनके आधार नंबर एबीपीएस से जुड़े हुए हैं;

(ख) उन कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनकी आधार संख्या एबीपीएस के साथ न जोड़े जाने के कारण उनकी मजदूरी नहीं मिल पाई है;

(ग) वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत सक्रिय कार्यबल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और एबीपीएस के अंतर्गत मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र कामगारों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि आधार आधारित पेमेंट ब्रिज प्रणाली (एबीपीएस) योजना के अंतर्गत मनरेगा कामगारों के वेतन में हेर-फेर के बारे में शिकायतें हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं , तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): नरेगासॉफ्ट के अनुसार दिनांक 28.07.2023 की स्थिति के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत 11.38 करोड़ कामगारों के आधार नंबर को आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के साथ जोड़ा गया है।

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लाभार्थी को खाता आधारित और साथ ही आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यदि कोई लाभार्थी आधार आधारित भुगतान ब्रिज प्रणाली हेतु योग्य नहीं है , तो भुगतान करने के लिए वैकल्पिक माध्यम मौजूद है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत एबीपीएस के माध्यम से अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र सक्रिय कामगारों और कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): एबीपीएस भुगतान निर्देश का पालन करने का एक माध्यम है और अंत में भुगतान बैंक खाते में जमा हो जाता है। भुगतान लाभार्थी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

*****

राज्य सभा में दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 1546 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत एबीपीएस के माध्यम से अपनी मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र कामगारों और सक्रिय कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सक्रिय कामगारों की संख्या (लाख में)	एबीपीएस के अंतर्गत अपनी मजदूरी प्राप्त करने वाले पात्र कामगारों की संख्या (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	96.78	92.16
2	अरुणाचल प्रदेश	3.28	1.53
3	असम	62.98	13.31
4	बिहार	93.46	62.26
5	छत्तीसगढ़	72.58	52.77
6	गोवा	0.08	0.06
7	गुजरात	32.32	14.06
8	हरियाणा	9.48	7.33
9	हिमाचल प्रदेश	14.43	11.52
10	जम्मू और कश्मीर	17.00	9.44
11	झारखंड	45.28	31.76
12	कर्नाटक	87.23	67.64
13	केरल	27.10	22.88
14	लद्दाख	0.42	0.34
15	मध्य प्रदेश	119.93	67.19
16	महाराष्ट्र	66.69	44.66
17	मणिपुर	7.03	3.93
18	मेघालय	9.10	0.28
19	मिजोरम	2.15	1.58
20	नागालैंड	5.60	1.10
21	ओडिशा	78.29	53.84
22	पंजाब	15.93	12.38
23	राजस्थान	143.67	103.31
24	सिक्किम	0.97	0.73
25	तमिलनाडु	91.47	81.80
26	तेलंगाना	61.05	55.21
27	त्रिपुरा	10.50	8.75
28	उत्तर प्रदेश	157.55	92.00
29	उत्तराखंड	12.49	8.90
30	पश्चिम बंगाल	151.81	120.38
31	अण्डमान और निकोबार	0.15	0.12
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.0027	0.0015
34	पुदुचेरी	0.68	0.54
	कुल	**1,497.46**	**1,043.76**